

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.15 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Dungri-Bijrakot-Chinka (Kothagdhar)-Nauridhar-Baunla-Durgapur motor road. Under State Sector (length 8.00 km) at Dasoli Block in District- Chamoli. Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.


It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.15 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature


(Ashok Kumar)

(District Magistrate Chamoli)


निलाधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 20-AUG-2015 at time 11.00 AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 3.15 Hect of civil land for the Construction of Dungri-Bijrakot-Chinka (Kothagdhar)-Nauridhar-Baunla-Durgapur motor road. Under State Sector (length 8.00 km) at Dasoli Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature

A
(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड

दशोली में राज्य और जननान्तरण दुर्गम

विजराकोट-हिनका (कोठागढार)

नौराहार बौला दुर्गम पुर ट्रॉमोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहस प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली**दशोली**

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड

दशोली

जनपद चमोली के विकास खण्ड

में दुर्गम, किराकोट-हिनका (कोठागढार) नौराहार-बौला दुर्गम पुर लक्ष मोटर
मार्ग निर्माण हेतु ३.१५ हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने
हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के
अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. २९.४.१५ को सम्पन्न बैठक की
कार्यवाही का विवरण।अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी
एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा.
सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार है:-

1- श्री <u>अनन्द देव प्रभागी</u> छिंट	उपजिलाधिकारी (स्तद्)	अध्यक्ष
2- श्री <u>रसोहन राज</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- श्री <u>आरोहल रवनेंद्र</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव	
4- श्री <u>दिनेश लाल</u>	बी.डी.सी. क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप
जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि
जनपद चमोली के विकास खण्ड**दशोली**

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य/सचिव

सदस्य

ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड

दशोली

के अन्तर्गत दुर्गम-

तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे. वन
भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम
सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा
सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्पतन की अनुशंसा की गई है।सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत
वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को
स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी
दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा
अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति
जारी की जाती है।A/C/S
उपजिलाधिकारी
अध्यक्षउप प्रभागीय वनाधिकारी
ग्राम सभा/पंचायत
सदस्य
सापेक्षसहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिवबी.डी.सी.सेक्टर
सदस्य

विधि का इकाई। (विधि)

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड **दशोली ब्रेंश्य प्रोजेक्ट अन्तर्गत इंडिया-****विजराकोट-हिन्दुका (फोटोग्राफ़िया)** नौराहार-बौला-दुग्गपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड

जनपद चमोली के विकास खण्ड

दशोली**दशोली**में **डुंगी-विजराकोट-हिन्दुका (फोटोग्राफ़िया)** नौराहार-बौला-दुग्गपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3:15 है। सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. २७.५.१८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निनानुसार है—

1- श्री **अवधेश कुमार सिंह**

उपजिलाधिकारी (सदर)

अध्यक्ष

2- श्री **एस - एन - लिंग**

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सदस्य

3- श्री **आर० स्कॉट रबन्डे**

सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव

4- श्री **जसपाल लाल**

वी.डी.सी. क्षेत्र

सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड **दशोली****विजराकोट-हिन्दुका (फोटोग्राफ़िया)** नौराहार-बौला-दुग्गपुर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसमिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

*A/C/S/D*उपजिलाधिकारी
अध्यक्षउप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य*D*सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव*वी.डी.सी.क्षेत्र*
सदस्य

**जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र ब्रैनार्य में
 परियोजना का नाम :- दुःखी-बिसराकीट-डिनका (कोठगढ़ार) नौरीधार-बैंला
 दुःखीपुर पुल तक ओहर भार्ग निर्माण
 वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
 प्रमाण पत्र**

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद नका (कोठगढ़ार) नौरीधार-बैंला- चमोली के विकास खण्ड दुश्शोली में अन्तर्गत दुःखी-किरलोट दुःखीपुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ५० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .


३।५ ५० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि **३।५** ५० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की स्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो अस्थ एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान



जनपद-चमोली के विधानसभा क्षेत्र ब्रिनाव भे
परियोजना का नाम :- कुंड्री-बिजराकोह-ठिनको (कोटुगढार) नौशीघार-बोला
डुर्गपुर पुल तक भोटर मार्ग निर्माण
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति
प्रमाण पत्र


जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद
चमोली के विकास खण्ड डुशोली में अन्तर्गत कुंड्री-बिजराको
नका (कोटुगढार) नौशीघार-बोला-
डुर्गपुर पुल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु .

3.15 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें
उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु
विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत
प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लग्नित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक
कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है
कि उक्त वन भूमि 3.15 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना
निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की
उपस्थिति संलग्न है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



प्रपत्र -23.1

दि..... को ग्राम सभा कुशी-विनाशकोट की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में निम्नलिखित संस्थ्य उपस्थित हुए।

क्र.	ग्राम सभा में उक्तस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुतेज सह नंगी कुमृपिलाला	
2	राजेश्वरीलाल करी देवी	
3	चंद्रकुमारी लिलाला करी	
4	शान्ति सह राजेश्वरीलाला	
5	पुष्पा नंगी देवी	
6	कुमृपि करी लिलाला	
7	देमलाला देवी	
8	दीरा डेवी	
9	नरेन्द्रलाल	
10	मनोज सिंह	
11	मुमुक्षुलाला करी	
12	संजय सह बड़ी लिलाला	
13	देवीलाल	
14	रुक्मीर हिंदु बड़ी लिलाला	
15	माहेश्वर नंगी लिलाला	
16	वर्चनीसुहनेंगी	
17	आमलीसुहनेंगी	
18	जगपतलाली रेवी	
19	दीपक लिलाला	
20	पुष्पा नंगी	
21	किंशाम निंदे	
	प्राप्ति करी	
	प्राप्ति करी	



प्रपत्र -23.1

दि..... को ग्राम सभा नौरा (चिनक) की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री वार्षेश - (१०६२) = वार्षेश भाऊ दिलजी	वार्षेश
	गुरु दिलजी " "	दिलजी
	सर्वेन्दु सिंह नंदी " "	
	बड़ी सिंह - (१०५८) " "	
	मिलन सिंह - (१०५४)	Miln
	मुक्तेश चंद्राच दही - (१०५१)	मुक्तेश
	दुर्गाप्रसाद लली	लली
	- लाल चंद्राच लली	लालचंद्राच
	मुनी देवी	मुनी देवी
	प्रसाद पुष्पाचली	प्रसादपुष्पाचली
	विष्णुदेवी	विष्णुदेवी
	मनोरमादेवी	मनोरमादेवी
	धर्मजनीदेवी	धर्मजनीदेवी
	कमलदेवी	कमलदेवी
	जगन्नाथजाचली	जगन्नाथजाचली
	दिव्येन्दुजनी	दिव्येन्दुजनी
	श्रीनारायण रामेन्द्री	रामेन्द्री

प्रपत्र - 23.1

दि..... को ग्राम सभा २९ बौला की बैठक सम्पन्न हुई^{वैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए}

क्रं.	ग्रामसभा में घोषित वरिज ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री-रुरुक्ष सिंह - श्रीत्वा मुली लिंह	कृष्ण
2	श्री-सतीश सिंह - " बुब्दन सिंह	सतीश
3	श्री-रुद्रनाथ सिंह - " रामदामाल सिंह	रुद्रनाथ
4	" भाटन सिंह " गोपाल लिंह	गोपा
5	" असपाल सिंह " १५ न सिंह	असपाल
6	" शुशाल सिंह " धाम लिंह	धाम
7	" लोकगण लिंह " हरगाँड लिंह	लोकगण
8	" राज-जू सिंह " लोलनवाह सिंह	राजनवाह
9	" शुलाश सिंह " देलाव लिंह	शुलाश
10	" त्रिवनोह सिंह " अवतार सिंह	त्रिवनोह
11	" बुबूर सिंह " शुपाल लिंह	शुपाल
12	" दरिन्द्रारह	दरिन्द्रारह
13	" रामजीत सिंह "	रामजीत
14	" हुकम सिंह "	हुकम
15	शजो-कुली	शजो-कुली
16	गंगासाह	गंगासाह
17	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र
18	गायाल सिंह	गायाल
19	गिन्धा लाल	गिन्धा लाल
20	राशन रहस्य	राशन रहस्य
21	नीरज रहस्य	नीरज रहस्य
22	पदमेन्द्र सिंह	पदमेन्द्र